

दिनांक-25.09.2024 को विभाग अंतर्गत **Empanelment for Manufacturers of Water Treatment unit (WTU)** के लिए मुख्यालय स्तर पर आमंत्रित **EOI** के विरुद्ध प्राप्त दस्तावेजों की समीक्षोपरांत विभिन्न एजेंसियों के **Empanelment** पर निर्णय हेतु "विभागीय निविदा समिति" की बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति-

श्री पंकज कुमार	- प्रधान सचिव
मो0 सादुल्लाह जावेद	- अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
श्री राजेश प्रसाद सिन्हा	- मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर
श्री नित्यानन्द प्रसाद	- मुख्य अभियंता, पटना प्रक्षेत्र, पटना
श्री दयाशंकर प्रसाद	- मुख्य अभियंता,(दक्षिण बिहार)-सह-मुख्य अभियंता(रूपांकण)
श्री रामचन्द्र पाण्डेय	- मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ
श्री प्रसुन्न कुमार	- मुख्य अभियंता, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर
श्री राम प्रवेश यादव	- आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय:- विभाग अंतर्गत **Empanelment for Manufacturers of Water Treatment unit (WTU)** के लिए मुख्यालय स्तर पर आमंत्रित **EOI** के विरुद्ध प्राप्त दस्तावेजों की समीक्षोपरांत विभिन्न एजेंसियों के **Empanelment** पर निर्णय।

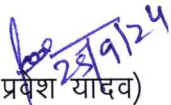
दिनांक-13.09.2024 को तकनीकी स्कुटनी समिति की बैठक के संदर्भ में दिनांक-25.09.2024 को आयोजित विभागीय निविदा समिति की बैठक में उक्त विषय पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान इस विषय के विभिन्न पहलूओं/तथ्यों एवं कागजातों के अवलोकन के बाद निम्न तथ्य सामने आये :-

1. आमंत्रित EOI के आलोक में इच्छुक फर्मों/एजेंसियों के द्वारा समर्पित कागजात/दावा के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि निविदादाताओं के द्वारा कतिपय बिन्दुओं/तथ्यों यथा, फर्म के डिबार/ब्लैक लिस्ट की स्थिति, Under Taking/Affidavit समर्पित करना इत्यादि, पर त्रुटिपूर्ण दावा/तथ्य प्रस्तुत किये गये। इस प्रकार निविदादाताओं के उक्त दावा Vitiated (अस्पष्ट/विकृत) पाए गए।
2. समिति द्वारा पाया गया कि निविदा प्राप्ति के 180 दिनों के पूर्ण होने के उपरान्त दिनांक-23.06.2024 को उक्त निविदा/EOI के Bid Validity की अवधि समाप्त होने की स्थिति में EOI के Bid Document के कंडिका-15 के आलोक में यह EOI अप्रभावी/Nullify हो गई है तथा वर्तमान परिस्थिति में इस EOI के आलोक में कार्रवाई नियम संगत नहीं होगी।

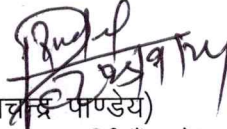
5

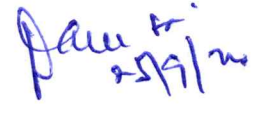
जावेद

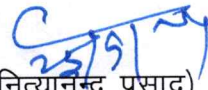
उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थिति के साथ निर्धारित बीड वैधता की अवधि समाप्त हो जाने के कारण समिति द्वारा वर्तमान EOI को रद्द/समाप्त करते हुए पुनः EOI आमंत्रण सूचना/निविदा e-proc 2.0 के माध्यम से Online mode में आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

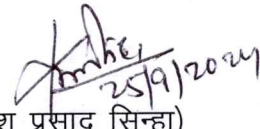

(राम प्रवेश यादव)
आंतरिक वित्तीय
सलाहकार


(प्रसुन्न कुमार)
मुख्य अभियंता, भागलपुर प्रक्षेत्र,
भागलपुर

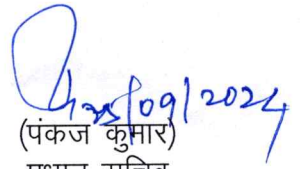

(रामकृष्ण पाण्डेय)
मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ प्रक्षेत्र,
पूर्णियाँ


(दया शंकर प्रसाद)
मुख्य अभियंता (दक्षिणी
बिहार)-सह-मुख्य
अभियंता रूपांकण


(नित्यानन्द प्रसाद)
मुख्य अभियंता,
पटना प्रक्षेत्र, पटना


(राजेश प्रसाद सिन्हा)
मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर
प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर


(मो0 सादुल्लाह जावेद)
अभियंता-प्रमुख-सह-विशेष
सचिव


(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव